भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं.2905**

12.12.2016 को उत्‍तर के लिए

**प्रदूषण के प्रभाव का आंकलन**

**2905. श्री संजय सेठ:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लगे राज्यों में फसलों के अवशेष जलाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्पन्न वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या वार्षिक तौर पर होने वाली इस घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने कोर्इ संस्थागत तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बच्चों और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण के किसी प्रतिकूल प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उन व्यक्तियों और अभिकरणों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवार्इ की गर्इ है, जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) फसल के अवशिष्‍ट को जलाए जाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें, अन्‍य बातों के साथ-साथ वर्ष 2014 में राष्‍ट्रीय फसल अवशिष्‍ट प्रबंधन नीति को अंतिम रूप दिया जाना, जिसमें तकनीकी उपायों को अपनाए जाने तथा केन्‍द्रीय वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध कराए जाने की परिकल्‍पना की गई है; कृषिगत अवशिष्‍ट को जलाए जाने पर सख्‍त रोक लगाया जाना सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सहित एनसीआर राज्‍यों/ संघ राज्‍य क्षेत्र को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18(1) (ख) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के अन्‍तर्गत निर्देश जारी करना; भारत के उत्‍तरी राज्‍यों में ठूंठ जलाना समाप्‍त करने के लिए मल्‍टीमीडिया पद्धति में एडवायजरी जारी करना; किसानों के बीच जागरूकता का सृजन करना; कृषिगत मशीनरी की लागत पर सब्सिडी देना; पंजाब सहित एनसीआर राज्‍यों द्वारा कृषिगत अवशिष्‍ट को खुले में जलाए जाने पर रोक; केन्‍द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमित बैठकों के अतिरिक्‍त अधिकारी तथा मंत्री स्‍तर पर नियमित समन्‍वयन बैठकों का आयोजन; पंजाब तथा हरियाणा सरकारों द्वारा बायोमास विद्युत संयंत्रों की स्‍थापना; केन्‍द्रीयकृत मॉनीटरिंग समिति का गठन इत्‍यादि शामिल हैं ।

(ख) सरकार ने फसल अवशिष्‍ट के जलाए जाने को नियंत्रित करने के लिए केन्‍द्रीय स्‍तर पर मंत्री तथा सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्‍तर पर राज्‍य स्‍तर पर मुख्‍य सचिव के स्‍तर पर कार्य-तंत्र स्‍थापित किए हैं ।

(ग) केन्‍द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बच्‍चों सहित मानव स्‍वाथ्‍स्‍य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का मूल्‍यांकन करने के लिए चितरंजन राष्‍ट्रीय कैंसर संस्‍थान, कोलकाता के माध्‍यम से एक अध्‍ययन कराया है । जीवन शैली , मोटापा, हाइपरटेंशन, धूम्रपान, खाद्य पद्धतियां इत्‍यादि के अतिरिक्‍त वायु प्रदूषण को अनेक श्‍वास संबंधी रोगों तथा हृदवाहिका संबंधी बीमारियों को बढ़ाने वाले कारकों में से एक कहा जाता है ।

(घ) सरकार ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले लोगों तथा एजेंसियों के विरुद्ध विभिन्‍न दण्‍डात्‍मक उपाए किए हैं जिनमें, अन्‍य बातों के साथ-साथ, कृषिगत अवशिष्‍ट को खुले में जलाए जाने के विरुद्ध एफआईआर दायर किया जाना; स्‍पष्‍ट तथा प्रदूषणकारी वाहनों को जब्‍त करना; नियंत्रणाधीन प्रदूषण के उल्‍लंघनकर्ताओं का चालान करना; भवन सामग्रियों की ढुलाई उन्‍हें समुचित रूप से ढके बिना करने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत अभियोग दायर करना; प्रदूषण नियंत्रण के प्रतिमानों का पालन न करने वाली निर्माण परियोजनाओं पर जुर्माना लगाया जाना शामिल हैं ।

\*\*\*\*\*